सं० सं०–टी–3/भू–अर्जन–43/2016–................/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषकः– उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक–........../........../2020

विषयः– श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महनार (वैशाली) के भवन निर्माण हेतु महनार अंचल के मौजा–पहाड़पुर विशनपुर में कुल 0.94 एकड़ भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर लिए जाने के निमित्त कुल राशि **87,33,870.00 (सतासी लाख तैंतीस हजार आठ सौ सत्तर)** रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महनार (वैशाली) के भवन निर्माण हेतु महनार अंचल के मौजा–पहाड़पुर विशनपुर में पूर्व से हस्तांतरित 1.79 एकड़ सरकारी भूमि के चौहद्दी में अवस्थित 0.94 एकड़ अतिरिक्त रैयती भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर लिए जाने के निमित्त समाहर्त्ता, वैशाली के पत्रांक–1885, दिनांक –18/12/2019 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के आलोक में कुल राशि **87,33,870.00 (सतासी लाख तैंतीस हजार आठ सौ सत्तर)** रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–050 भूमि, उप शीर्ष–0101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू–अर्जन के लिए, विपत्र कोड–26–4250000500101 के विषय शीर्ष–0101-53-02 भू–अर्जन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महनार (वैशाली) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, वैशाली, हाजीपुर से की जायेगी तथा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महनार (वैशाली) राशि की निकासी कर सतत् लीज के अधीन देय राशि हितबद्ध रैयतों को Account Payee Cheque के माध्यम से लीज के निबंधन की तिथि को उपलब्ध करायेंगे।

5– भू–अर्जन की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष पूरा कर लिया जाय।

6– ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति श्रम संसाधन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

7– प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8– संचिका संख्या–टी–3/भू–अर्जन–43/2016 के पृष्ठ –...91.../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

कृ०पृ०उ०

(6)

ज्ञापांक– टी–3/भू–अर्जन–43/2016 –................................ /प ट ना, दिनांक–............/............/2020

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भू–अर्जन–43/2016 –................................ /प ट ना, दिनांक–............/............/2020

प्रतिलिपिः–आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भू–अर्जन–43/2016 –.....546..... /प ट ना, दिनांक–....02/....03/2020

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महनार (वैशाली)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Suryakant mani
28/2/2020
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग